पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम)
पाँचवां तल्ला, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड
पटना का मुख्यालय भवन, हॉस्पीटल रोड,
शास्त्री नगर, पटना - 800023

सं0सं0– PMAA/PCN/$\frac{\text{Nosha}}{\text{Phulwarisharif}}$/B+G+05/44/2018 - 12 पटना, दिनांक– 04.06.2018

प्रेषक,

प्रभारी निदेशक,
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,
बिहार पटना।

सेवा में,

M/s Shivam Heights & Infra, Partner Chandan Rungta.
Budhmarg,
407, Ashiana Plaza,
Patna-800001.

विषयः– प्लान केस सं0–PMAA/PCN/$\frac{\text{Nosha}}{\text{Phulwarisharif}}$/B+G+05/44/2018 **की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

आपके आवेदन सं0– PMAA/PCN/$\frac{\text{Nosha}}{\text{Phulwarisharif}}$/B+G+05/44/2018, के संदर्भ में **M/s Shivam Heights & Infra, Partner Chandan Rungta.** के भवन निमार्ण के लिए पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार को बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार/आयोजना स्कीम के सर्वे प्लॉट सं0–297, B +G +05, थाना सं0– 38, मौजा– नौसा, थाना–फुलवारी शरीफ, जिला– पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

1. भूमि/भवन का उपयोग अन्य रूप से व्यवसायिक प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
2. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
3. अनुमोदन योजना में दर्शाया गया 1540.478 वर्गमीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
4. प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
5. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
6. इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड़ जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो के अधिकार हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
7. योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी ।

8. सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधिनस्थ पटना मास्टर प्लान 2031 के 60m, चौड़ी सड़क हेतु आवेदक 302.03 वर्गमीटर, चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रुप में प्राधिकार को देगा इस पर किसी प्रकार का दावा नहीं होगा और किसी प्रकार का निर्माण नहीं करना होगा।

9. भू–स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर–फेर/ कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवायी की जायेगी।

10. बिहार भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली 2017 की शर्तो के अधीन राज्य में गठित भू–सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।

11. निर्माणकर्ता को प्राधिकार के विनिर्देशो के अनुसार मल जल निकास जल निकास सड़क आदि जैसे संयोजन स्थल पर और स्थल के बाहर आधारभूत संरचना का बिहार भवन उपविधि 8(5) के आलोक में विकास करना होगा।

12. समय–समय पर सरकार द्वरा निर्गत आदेशों एवं नीतियों का विस्तृत रूप में पालन करना अनिवार्य होगा।

13. स्थल पर **Rainwater Harvesting** का प्रावधान निश्चित रूप से करना होगा ।

विश्वासभाजन,

प्रभारी निदेशक, 4/6/18
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,
पटना।